न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	.....शिवराम.....बनाम.....केशार..... मु.नं.–78/22 किस्म – प्र.इ.	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 09 के स्थायी मुकाम प्र.पत्र एवं अप्रार्थी सं. 06,07,08,11,12 की तामील रजि० डाक रसीद पेश नहीं की। स्थायी मुकाम प्र.पत्र एवं डाक तामील रसीद अनिवार्य रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते स्थायी मुकाम प्र.पत्र अप्रार्थी सं. 09 एवं तामीली अप्रार्थी सं. 06,07,08,11,12 दिनांक 09.9.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
09.9.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलवाई गई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से स्थायी मुकाम प्र० पत्र एवं तलबी में लंबित है। प्रार्थी को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 09 के स्थायी मुकाम एवं अप्रार्थी सं. 06,07,08,11,12 के तलबाना सम्मन पेश नहीं किये गये एवं निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली में दिनांक 04.10.22 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	